न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–214/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00334)**

1. श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री निर्मल कुमार भाण्डिया, निवासी चन्द भवन, अशोक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर हाल निवासी एल/5 कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये आयुक्त जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.11.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 27.04.2017 (प्रकरण संख्या 84/2012) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम हरवर, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 277 रकबा 3.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 2.73 हैक्टयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 2.43 हैक्टयर खसरा नम्बर 324 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 280/929 रकबा 0.05 हैक्टयर खसरा नम्बर 313/932 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 315/933 रकबा 0.14 हैक्टयर व खसरा नम्बर 343/934 रकबा 0.12 हैक्टयर कुल किता 9 कुल रकबा 9.14 हैक्टयर भूमि अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे तथा उपयोग व उपभोग की भूमि है, जो राजस्व भू–अभिलखों में उक्त भूमि अपीलार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज हुई तथा उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार आमेर ने राजस्थान राज्य सरकार ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि हाल खसरा नम्बर 279 रकबा 2.73 हैक्टयर, खसरा नम्बर 280/929 रकबा 0.5 हैक्टयर, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.12 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 315/233 रकबा 0.14 हैक्टयर जो हाल राजस्व भू–अभिलेखों में श्रीमती पुष्पा की खातेदारी में दर्ज है पूर्व में सिवाय चक खसरा नम्बर 29 मिन रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा थी जिसे भू–प्रबन्ध विभाग ने श्रीमती पुष्पा को विनिमय कर दी है, जो अवैंधानिक है क्योंकि मौके पर इन खसरा नम्बरान में अतिक्रमण है तथा खसरा नम्बर 317 लगायत 323, 325/939, 342/335, 331/936, 330/937, 329/938, 328/970 सिवाय चक बताते है, पुष्पादेवी की खातेदारी व कब्जे के है। अतः किया गया विनिमय निरस्त कर कब्जे के सम्बन्ध में दुरूस्ती करने की कार्यवाही फरमाये और साथ ही यह अनुतोष भी चाहा कि उस विनिमय के लिये जिला कलक्टर जयपुर द्वारा रेफरेन्स करने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

के निर्देश आदेश क्रमाक 4946 दिनांक 16.05.1997 से दिये है परन्तु यह प्रकरण रेफरेन्स का न होकर शुद्धि का है और शुद्धि करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है अतः प्रकरण शुद्धि पेश किया है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शुद्धि किये जाने के आदेश फरमाये जावें। उन्होने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर मौजूदा अपीलार्थीया ने प्राथमिक आपत्तियॉ प्रस्तुत की और गुणावगुण पर भी वास्तविक स्थिति स्पष्ट की परन्तु उपखण्ड अधिकारी आमेर ने दिनांक 22.01. 2001 को आदेश पारित कर यह मानते हुये कि भू–प्रबन्ध में अपीलार्थीया को सहूलियत से रकबा घटा–बढ़ा दिया जो अवैधानिक है जिसे तहसीलदार आमेर प्रावधानानुसार रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 लगायत 9 में प्रस्तावित संशोधन राजस्व रिकार्ड में किये जाने की स्वीकृति तहसीलदार आमेर को प्रदान की जाती है तदानुसार पालना हेतु तहसीलदार आमेर को लिखा जायें।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 22.01.2001 के आधार पर अपीलार्थीया को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये .बिना ही तहसीलदार आमेर ने नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 07.02.2001 को तस्दीक कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 22.01.2001 के विरूद्ध अपीलार्थीया ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस अपील संख्या 12/2001 उनवान पुष्पा देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य को न्यायालय श्रीमान् ने दिनांक 30.09.2002 को अपने निर्णय द्वारा स्वीकार फरमाते हुये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 22.01. 2001 को क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किया गया आदेश होना मानते हुये निरस्त फरमा दिया तथा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 07.02.2001 के विरूद्ध अपीलार्थीया ने अपील संख्या 6/2001 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 07.02.2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किया गया एवं न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2002 को पारित निर्णय के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान आमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिस अपील संख्या 758/2003 को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान ने अपने निर्णय दिनांक 17.03.2015 द्वारा निरस्त किया गया तथा राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 17.03.2015 के विरूद्ध कोई नजरसानी, याचिका/रिट आदि प्रस्तुत नही हुई और वह निर्णय अन्तिम हो गया है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 17.3.2015 के आधार पर तहसीलदार आमेर के लिये यह आवश्यक था कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 9.14 हैक्टयर को पूर्ववत अपीलार्थीया श्रीमती पुष्पादेवी की खातेदारी में अंकित करते परन्तु कई वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् भी जब तहसीलदार आमेर ने कोई कार्यवाही नही की तब अपीलार्थीया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिस एस.बी. सिविल रिट याचिका 1710/2017 उनवानी श्रीमती पुष्पादेवी बनाम राजस्थान राज्य सरकार व अन्य को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.02.2017 को अपने निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुये तहसीलदार आमेर को निर्देश दिये कि वे तीन माह की समयावधि में आवश्यक रूप से निर्णय पारित करें। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार आमेर के लिये यह बाध्य था कि वे उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2001 तथा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 07.02.2001 निरस्त हो जाने की स्थिति में पूर्व इन्द्राजात का मात्र पूर्ववत अंकित करने का आदेश पारित करते लेकिन तहसीलदार आमेर को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के सामान्तरकरण कोई क्षेत्राधिकार नही हैं परन्तु फिर भी तहसीलदार आमेर ने नियमित वाद से भी अधिक क्षेत्राधिकार होना मानते हुये कार्यवाही प्रारम्भ की और अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2002 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के पश्चात् भी अपीलार्थीया को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किय बिना क्षेत्राधिकार के बाहर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2017 से नामान्तरकरण संख्या 59 को बहाल किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीया की खातेदारी की भूमि का कोई भाग ना तो कभी राजकीय भूमि है और न ही उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण का किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त है यदि रेस्पोडेन्ट के भूमि विवादग्रस्त में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार होता है तो उन्हे सक्षम न्यायालय के समक्ष ही नियमित रूप से कार्यवाही करना आवश्यक होता है, तहसीलदार आमेर को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है कि वे राजस्थान राज्य सरकार को व जयपुर विकास प्राधिकरण के लिये एक नया केस बनाते हुये राजस्व मण्डल राजस्थान व राजस्थान उच्च न्यायालय से अधिक अधिकार प्राप्त होना मानते हुये कोई आदेश पारित कर सके। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2017 पूर्णतः अवैध, विधि विरूद्ध होने की वजह से निरस्तनिय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2017 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार आमेर को स्पष्ट निर्देश पारित किये जावें के वह ग्राम हरवर, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बरान कुल किता 9 कुल रकबा 9.14 हैक्टयर का अपीलार्थीया की खातेदारी में अंकित करने का स्पष्ट आदेश पारित करें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस आदि भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 22.01.2001 की अनुपालना में तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 वाके ग्राम हरवर तहसील आमेर दिनांक 07.02.2001 को स्वीकार किया गया है जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के उक्त निर्णय दिनांक 22.01.2001 को न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 30.09.2002 द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.09.2002 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 758/2003 दायर करने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 17.03.2015 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की अपील खारिज करते हुए न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 30.09.2002 की पुष्टि की गई है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 22.01.2001 का प्रचलन या प्रभाव को बहाल किया गया हो ऐसे में जब जिस आदेश दिनांक 22.01.2001 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 59 स्वीकार किया गया है वह आदेश दिनांक 22.01.2001 ही वर्तमान में प्रभावी या प्रचलन में नही है तो ऐसे में उक्त नामान्तरकरण संख्या 59 को बहाल करने के ठोस आधार तहसीलदार आमेर के समक्ष उपलब्ध नही रहे है किन्तु तहसीलदार द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2017 पारित किया गया है जिसे विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 59 वाके ग्राम हरवर तहसील आमेर पर पारित आदेश दिनांक 07.02.2001 को निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त अराजी की दिनांक 07.02.2001 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।